



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1425।

नई दिल्ली, बुधवार, जून 19, 2013/ज्येष्ठ 29, 1935

No. 1425।

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 19, 2013/JYAISTHA 29, 1935

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 2013

का.आ.1764(अ).—औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग की दिनांक 01.06.2012 की पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं [का.आ. 1268 (अ) और 1269 (अ)] के अधिक्रमण में केन्द्र सरकार एतद्वारा राष्ट्रीय विनिर्माण नीति के कार्यान्वयन से संबंधित मामलों के लिए अनुमोदन बोर्ड (बीओए) को सम्मिलित करते हुए एक उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) का पुनर्गठन करती है:-

2. उच्च स्तरीय समिति निम्नानुसार गठित की गई है:-

(i) सचिव, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग	- अध्यक्ष
(ii) सचिव, आर्थिक कार्य विभाग अथवा उसके नामिती	- सदस्य
(iii) सचिव, राजस्व विभाग अथवा उसके नामिती	- सदस्य
(iv) सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय अथवा उसके नामिती	- सदस्य
(v) सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय अथवा उसके नामिती	- सदस्य

(vi) सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय अथवा - सदस्य
उसके नामिती

(vii) सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग अथवा उसके - सदस्य
नामिती

(viii) सचिव, शहरी विकास मंत्रालय अथवा उसके नामिती - सदस्य

(ix) मुख्य लेखा नियंत्रक, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग - सदस्य

(x) उद्योग विशेषज्ञ - सदस्य

(xi) उद्योग विशेषज्ञ - सदस्य

(xii) संयुक्त सचिव, (एम.पी. अनुभाग के प्रभारी) - सदस्य-सचिव

3. नामिति भारत सरकार के संयुक्त सचिव रैंक से नीचे नहीं होने चाहिए।

4. यह समिति, यदि आवश्यक हो तो, संबंधित राज्य सरकारों को आमंत्रित कर सकती है।

5. एचएलसी किसी विशेष प्रस्ताव अथवा उसके किसी हिस्से के मूल्यांकन के लिए अपेक्षित विशेषज्ञता पर निर्भर करते हुए किसी अन्य सदस्य/विशेषज्ञ को सहयोगित कर सकती है।

6. उच्च स्तरीय समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं :-

(i) नीतिगत प्रावधानों के कार्यान्वयन की नियमित आधार पर निगरानी करना और यदि कोई अंतर-मंत्रालयी मामले हों, तो उनका समाधान करना।

(ii) राष्ट्रीय विनिर्माण नीति की अपेक्षाओं को पूरा करने वाले एनआईएमजेड की स्थापना के लिए इस संबंध में जारी दिशानिर्देशों के अनुसार सभी तरह से पूर्ण आवेदनों की जांच करना। एचएलसी द्वारा विचार करने के बाद प्रस्तावों को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

(iii) राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए शुरुआती प्रस्ताव में सम्मिलित (एन्कैप्सलेट) किए गए अनुसार परियोजना की अवधारणा तथा डिजाइन के लिए एनआईएमजेड के विकास चरण के दौरान यदि कोई संशोधन अपेक्षित हो तो उसकी जांच करना और उस पर विचार करना।

(iv) जोन के विकास के लिए कार्यनीति तथा नीति के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए स्व-विनियमन के लिए कार्य योजना के संबंध में एनआईएमजेड के एसपीवी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव की जांच करना तथा अनुमोदन करना।

- (v) जब कभी विशिष्ट एनआईएमजेड अनुमोदित किया जाता है, तब उसके विकास की निगरानी करना।
- (vi) एमआईपीबी द्वारा दिए गए विनिर्माण क्षेत्र से संबंधित, निर्देश यदि कोई हो, तो उन पर विचार करना।

[फा. सं. 9/1/2012-एमपीएस]

अंजली प्रसाद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Industrial Policy and Promotion)
NOTIFICATION

New Delhi, the 1st June, 2013

S.O. 1764(E). – In supersession of Department of Industrial Policy and Promotion's earlier notifications [S.O. 1268 (E) and 1269 (E)] dated 01.06.2012, the Central Government hereby re-constitutes a High Level Committee (HLC) subsuming Board of Approval (BoA) into it for matters pertaining to the implementation of the National Manufacturing Policy.

2. The High Level Committee is constituted as follows:

(i) Secretary, Department of Industrial Policy & Promotion	– Chairperson
(ii) Secretary, Department of Economic Affairs or Nominee	– Member
(iii) Secretary, Department of Revenue or Nominee	– Member
(iv) Secretary, Ministry of Environment and Forests or Nominee	– Member
(v) Secretary, Ministry of Labour and Employment or Nominee	– Member
(vi) Secretary, Micro, Small and Medium Enterprises or Nominee	– Member
(vii) Secretary, Department of Science and Technology or Nominee	– Member
(viii) Secretary, Ministry of Urban Development or Nominee	– Member
(ix) Chief Controller of Accounts, DIPP	– Member
(x) Industry Expert	– Member
(xi) Industry Expert	– Member
(xii) Joint Secretary (in-charge of MP Section)	– Member Secretary
3. The nominees shall not be below the rank of Joint Secretary to the Government of India.
4. The committee may invite concerned State Governments if required.

5. The HLC may co-opt any other member/expert depending upon the specific expertise required to appraise any particular proposal or part thereof.
6. The Terms of Reference of the High Level Committee are as follows:
 - (i) To monitor the implementation of the Policy provisions on a regular basis and resolve inter-ministerial issues, if any.
 - (ii) To examine applications complete in all respects as per guidelines issued in this regard, for establishment of NIMZs as are found to be meeting the requirements of the National Manufacturing Policy. After consideration by the HLC, the proposals will be put up for approval to Commerce & Industry Minister.
 - (iii) To examine and consider, during the development phase of NIMZ, any amendment required to the concept and design of the project as encapsulated in initial proposal submitted by the State Government.
 - (iv) To examine and approve the submission by the SPV of a NIMZ regarding the strategy for development of the Zone and an action plan for self-regulation to serve the objectives of the policy.
 - (v) To monitor the development of specific NIMZs wherever approved.
 - (vi) To consider the directions, if any, relating to the manufacturing sector given by the MIPB.

[F. No. 9/1/2012-MPS]

ANJALI PRASAD, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 2012

का.आ. 1271(अ).—राष्ट्रीय विनिर्माण नीति दस्तावेज के अध्याय-1 में शामिल प्रावधारों के अनुसार, केंद्र सरकार एतद्वारा राष्ट्रीय विनिर्माण नीति के कार्यान्वयन से संबंधित मामलों के लिए विनिर्माण उद्योग संवर्धन बोर्ड (एमआईपीबी) का गठन करती है।

2. बोर्ड का गठन निम्नानुसार निम्नानुसार किया गया है:-

(i)	वाणिज्य और उद्योग मंत्री	- अध्यक्ष
(ii)	सचिव, भारत सरकार, आर्थिक कार्य विभाग	- सदस्य, पदेन
(iii)	सचिव, भारत सरकार, राजस्व विभाग	- सदस्य, पदेन
(iv)	सचिव, भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	- सदस्य, पदेन
(v)	सचिव, भारत सरकार, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय	- सदस्य, पदेन
(vi)	सचिव, भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	- सदस्य, पदेन
(vii)	सचिव, भारत सरकार, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय	- सदस्य, पदेन
(viii)	सचिव, भारत सरकार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय	- सदस्य, पदेन
(ix)	सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	- सदस्य, पदेन
(x)	सदस्य सचिव, राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता परिषद	- सदस्य, पदेन
(xi)	उद्योगों के प्रतिनिधि	- सदस्य
(xii)	उद्योगों के प्रतिनिधि	- सदस्य
(xiii)	सचिव, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग	- सदस्य सचिव

3. यह बोर्ड आवश्यकता होने पर संबंधित राज्यों के उद्योग मंत्रियों को आमंत्रित कर सकता है।

4. एमआईपीबी के विचारार्थ विषय निम्न प्रकार से हैं:

- i. देश में विनिर्माण क्षेत्र की समग्र स्थिति की आवधिक समीक्षा करना।
- ii. विनिर्माण क्षेत्र के राज्य-वार/क्षेत्र-वार कार्य निष्पादन की समीक्षा करना।
- iii. सामान्य रूप से राष्ट्रीय विनिर्माण नीति के कार्यान्वयन और विशेष रूप से एनआईएमजेड, जहां भी अनुमोदित हो, के विकास की समीक्षा करना।
- iv. एक ओर केंद्रीय मंत्रालयों के बीच और दूसरी ओर राज्य सरकारों तथा केंद्रीय मंत्रालयों के बीच समन्वय के मामलों, यदि कोई हो, का समाधान करना।
- v. हरित विनिर्माण समिति के कार्य की समीक्षा करना।
- vi. विनिर्माण क्षेत्र की और वृद्धि के लिए आवश्यक अन्य नीतिगत सिफारिशों पर विचार-विमर्श करना।

[फा. सं. 9/1/2012-एमपीएस]

अंजली प्रसाद, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st June, 2012

S.O. 1271(E).—In accordance with the provisions contained in Chapter 1 of the National Manufacturing Policy document, the Central Government hereby constitutes a Manufacturing Industry Promotion Board (MIPB) for matters pertaining to the implementation of the National Manufacturing Policy.

2. The Board is constituted as follows:-

(i) Commerce and Industry Minister	- Chairman
(ii) Secretary to the Government of India, Department of Economic Affairs	- Member, ex-officio
(iii) Secretary to the Government of India, Department of Revenue	- Member, ex-officio
(iv) Secretary to the Government of India, Ministry of Labour and Employment	- Member, ex-officio

(v)	Secretary to the Government of India, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises	- Member, ex-officio
(vi)	Secretary to the Government of India, Ministry of Road Transport and Highways	- Member, ex-officio
(vii)	Secretary to the Government of India, Ministry of Heavy Industry & Public Enterprises	- Member, ex-officio
(viii)	Secretary to the Government of India, Ministry of Science & Technology	- Member, ex-officio
(ix)	Secretary to the Government of India, Ministry of Environment and Forests	- Member, ex-officio
(x)	Member-Secretary, National Manufacturing Competitiveness Council	- Member, ex-officio
(xi)	Industry representative	- Member
(xii)	Industry representative	- Member
(xiii)	Secretary, DIPP	Member-Secretary

3. The Board may invite the Industry Ministers of the States concerned if required.

4. The Terms of Reference of the MIPB are as follows:

- i. To periodically review the overall situation of the manufacturing sector in the country.
- ii. To review State-wise/sector-wise performance of the manufacturing sector.
- iii. To review the implementation of the National Manufacturing Policy in general and the development of NIMZs, wherever approved, in particular.
- iv. To resolve co-ordination issues, if any, among central ministries on the one hand and state governments and central ministries on the other.

- v. To review the work of the Green Manufacturing Committee.
- vi. To deliberate upon any other policy recommendations necessary for the further growth of the manufacturing sector.

[F. No. 9/1/2012-MPS]

ANJALI PRASAD, Jt. Secy.